

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(कानूनी नियम और आदेश)

प्रारूप 2 क

(नियम 4 देखिए)

नामनिर्देशन-पत्र

लोक सभा के लिए निर्वाचन

नीचे भाग 1 या भाग 2, इनमें से जो भी लागू न हो, उसे काट दें

भाग 1

(मान्यताप्राप्त राजनैतिक दल द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थी द्वारा उपयोग किया जाना है)

मैं लोक सभा के निर्वाचन के लिए \_\_\_\_\_ संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से अभ्यर्थी के रूप में निम्नलिखित को नामनिर्देशित करता हूँ।

अभ्यर्थी का नाम \_\_\_\_\_

पिता/माता/पति का नाम \_\_\_\_\_

उसका डाक पता \_\_\_\_\_

उसका नाम \_\_\_\_\_

संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र (में समाविष्ट विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र) की निर्वाचक नामावली के भाग सं. \_\_\_\_\_ में क्रम सं. \_\_\_\_\_ पर प्रविष्ट है।

मेरा नाम \_\_\_\_\_ है जो

संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र (में समाविष्ट \_\_\_\_\_ विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र) की निर्वाचक नामावली के भाग सं. \_\_\_\_\_ में क्रम सं. \_\_\_\_\_ पर प्रविष्ट है।

(प्रस्थापक के हस्ताक्षर)

भाग 2

(मान्यताप्राप्त दल द्वारा खड़े न किए गए अभ्यर्थी द्वारा उपयोग किए जाने के लिए)

हम घोषणा करते हैं कि हम लोक सभा के निर्वाचन के लिए \_\_\_\_\_ संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से निम्नलिखित को अभ्यर्थी के रूप में नामनिर्देशित करते हैं।

अभ्यर्थी का नाम \_\_\_\_\_

पिता/माता/पति का नाम \_\_\_\_\_

उसका डाक पता \_\_\_\_\_

उसका नाम \_\_\_\_\_

संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र (में समाविष्ट विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र) की निर्वाचक नामावली के भाग संख्यांक ...100..... में क्रम संख्यांक 271..... पर प्रविष्ट है।

हम घोषणा करते हैं कि हम उपरोक्त संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के निर्वाचक हैं और हमारे नाम उस संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में जैसे कि नीचे उपदर्शित हैं, दर्ज हैं और हम इस नामनिर्देशन के नीचे प्रतीक स्वरूप अपने हस्ताक्षर करते हैं।

प्रस्थापकों की विशिष्टियाँ और उनके हस्ताक्षर

क्रम सं.	विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र घटक का नाम	निर्वाचक नामावली का भाग संख्यांक	उस भाग में क्रम सं.	पूरा नाम	हस्ताक्षर	तारीख
1	2	3	4	5	6	7
1.	पाली 110	123	525	शमीन अली/लियाकत	[Signature]	20/3/14
2.	पाली 110	155	406	अक़म अली/इह्वाज अली	[Signature]	21/3/14
3.	पाली 110	197	392	लक्ष्मण/मोहन	[Signature]	20/3/14
4.	पाली 110	196	640	मास्म अली/अ-सतार	[Signature]	20/3/14
5.	पाली 110	178	254	प्रदीप कुमार/अरुण कुमार	[Signature]	20/3/14
6.	पाली 110	229	136	बुनेन्द्र सिंह/शेराली	[Signature]	20/3/14
7.	पाली 110	129	635	मैसूम अली/काज़ी	[Signature]	20/3/14
8.	पाली 110	129	360	मो इसाक/मो-लुजी	[Signature]	20/3/14
9.	पाली 110	196	314	मोहम्मद/हजारी	[Signature]	20/3/14
10.	पाली 110	122	1005	मोहम्मद/जलालुद्दीन	[Signature]	20/3/14

कृपया ध्यान दें :- प्रस्थापक के रूप में निर्वाचन-क्षेत्र के 10 निर्वाचक होने चाहिए।

[Signature]

मैं, भाग 1/भाग 2 (जो लागू न हो उसे काट दें) में उल्लिखित अभ्यर्थी इस नामनिर्देशन के लिए अपनी अनुमति देता हूँ और घोषणा करता हूँ कि -

(क) मैंने 48 वर्ष की आयु पूरी कर ली है

[नीचे (ख) (1) या (ख) (11) जो लागू न हो उसे काट दें]

(ख) मुझे इस निर्वाचन में दल द्वारा खड़ा किया गया है, जो इस राज्य में मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय दल/राज्य दल है और उपरोक्त दल के लिए आरक्षित प्रतीक मुझे आवंटित किया जाए।

(ख) मुझे इस निर्वाचन में दल द्वारा खड़ा किया गया है, रजिस्ट्र-कृत अमान्यताप्राप्त राजनैतिक दल है। मैं यह निर्वाचन स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूँ (जो लागू न हो उसे काट दें) और मैंने जो प्रतीक चुने हैं वे अधिमान क्रम में (1) टेली विजन (11) हैं।

(ग) मेरा नाम और मेरे पिता/महर्षा/प्रति का नाम ऊपर हिन्दी (भाषा का नाम) में सही रूप से लिखा गया है।

(घ) अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार मैं लोक सभा का स्थान भरने के लिए चुने जाने के लिए अर्हित हूँ और निरर्हित भी नहीं हूँ।

\* मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मैं \*\* जाति/जनजाति का सदस्य हूँ जो राज्य के उस राज्य में के (क्षेत्र) के संबंध में अनुसूचित \*\*\*जाति/जनजाति है।

मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मुझे लोक सभा के लिए निर्वाचन कराए जा रहे साधारण निर्वाचन/अन-निर्वाचन में दो से अधिक संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों में अभ्यर्थी के रूप में \*\*\*\* नामनिर्देशित नहीं किया गया है और न ही किया जाएगा।

तारीख 26.03.2014

(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)

\* जम्मू-कश्मीर, अंदमान और निकोबार द्वीप, चंडीगढ़, दादरा और नागर हवेली, दमन और दीव तथा लक्षद्वीप की दशा में "में समाविष्ट विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र" शब्द काट दीजिए।

\*\* यदि लागू न हो तो इस पैरा को काट दीजिए।

\*\*\* लागू न होने वाले शब्द काट दीजिए।

\*\*\*\* जम्मू-कश्मीर, अंदमान और निकोबार द्वीप, चंडीगढ़, दादरा और नागर हवेली, दमन और दीव तथा लक्षद्वीप की दशा में लागू नहीं होगा।

भाग 3 (अभ्यर्थी द्वारा भरा जाए)

क्या अभ्यर्थी को -

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की-

(क) उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध (अपराधों) के लिए; या

(ख) उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट किसी विधि के उल्लंघन के लिए,

सिद्धदोष ठहराया गया है; या

हाँ/नहीं

6) ऐसे किसी अन्य अपराध (अपराधों) के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है, जिसके (जिनके) लिए उसे दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडित किया गया है यदि उत्तर "हां" में है, तो अभ्यर्थी निम्नलिखित जानकारी देगा :

लागू नहीं

- 7) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्यांक ..... लागू नहीं
- 8) पुलिस थाना (थाने) ..... जिला (ज़िले) ..... राज्य ..... लागू नहीं
- 9) संसद अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और उस अपराध (उन अपराधों) का संक्षिप्त विवरण, जिसके (जिनके) लिए उसे सिद्धदोष ठहराया गया था ..... लागू नहीं
- 10) दोषसिद्धि (दोषसिद्धियों) की तारीख/तारीखें ..... लागू नहीं
- 11) वह (वे) न्यायालय जिसने (जिनोंने) अभ्यर्थी को सिद्धदोष ठहराया था ..... लागू नहीं
- 12) अधिरोपित दंड कारावास (कारावासों) की अवधि और/या नुमानि (नुमानों) की राशि उपदर्शित करें ..... लागू नहीं
- 13) कारागार से निर्मुक्ति की तारीख (तारीखें) ..... लागू नहीं
- 14) क्या उपरोक्त दोषसिद्धि (दोषसिद्धियों) के विरुद्ध कोई अपील (अपीलें)/पुनरीक्षण फाइल किए गए थे : हां/नहीं ..... लागू नहीं
- 15) फाइल की गई अपील (अपीलें)/पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) की विशिष्टियां ..... लागू नहीं
- 16) उस न्यायालय (उन न्यायालयों) का (के) नाम, जिसके (जिनके) समक्ष अपील (अपीलें)/पुनरीक्षण आवेदन फाइल किए गए थे ..... लागू नहीं
- 17) क्या उक्त अपील (अपीलें)/पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) का निपटारा हो गया है या वह/वे लंबित हैं ..... लागू नहीं
- 18) यदि उक्त अपील (अपीलें)/पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) का निपटारा हो गया है, तो-  
 (क) निपटारे की तारीख (तारीखें) ..... लागू नहीं  
 (ख) पारित आदेश (आदेशों की प्रकृति) ..... लागू नहीं

स्थान : ..... पाली .....  
 तारीख : ..... 26-03-2014 .....

(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)

भागा 4 के तहत रिटर्न अफिसर द्वारा भरा जाए

नामनिर्देशन-पत्र की क्रम सं. 22  
यह नामनिर्देशन मुझे/भारे कार्यालय में 26/3/14 (तारीख) को 13/3/14 (बजे)  
\*अभ्यर्थी/प्रस्थापक द्वारा परित्त किया गया।

तारीख 26/3/14

*[Signature]*  
रिटर्न अफिसर

भाग 5

नामनिर्देशन-पत्र को प्रतिगृहीत या रद्द करने वाले रिटर्न अफिसर का विनिश्चय

मैंने इस नामनिर्देशन-पत्र को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 36 के अनुसार परीक्षित कर लिया है और मैं निम्नलिखित रूप में विनिश्चय करता हूँ :-

तारीख .....  
(छिद्रण) .....

*[Signature]*  
रिटर्न अफिसर

\*लागू न होने वाले शब्द काट दीजिए।

भारतीय गैर न्यायिक



राजस्थान RAJASTHAN  
 14 MAR 2014  
 जिला कोशालय  
 पाली - मायबाह (राज.)

81AA 441969

Non Judicial stamp attached with  
 this Affidavit

प्रति 26  
 वाली सैतरीय निम्नलिखित शेअर (15)  
 के लिये सहायित सचता सहायित  
 सुझकना की

*Signature*  
 Paruch.

~~मैं/मैंने/मैंने~~ ~~आप~~ ~~प्रति~~  
~~श्री~~ ~~श्री~~ ~~श्री~~  
~~राज~~ ~~राज~~ ~~राज~~  
~~तहसील~~ ~~जिला~~  
 आज प्रस्तुतकर्ता को व्यक्तिगत तौर से  
 पहचानता हूँ। प्रस्तुतकर्ता ने मेरे समक्ष अपने  
 अंगुठों का निगमन / हस्ताक्षर किये हैं।

*Signature*

Signed & Sworn Before me  
 Hence Attested  
 26.03.2014  
 Notary, PAB

नाम मुद्रांक विज्ञापन संख्या 10/2010-11  
 रजिस्टर क्रम संख्या 5041 25/3/10  
 मुद्रांक क्रमांक 10X1  
 मुद्रांक लेता का नाम: श्री. अशोक कुमार शर्मा  
 पता: ...  
 मुद्रांक लेता के द्वारा: ...  
 मुद्रांक विज्ञापन के द्वारा: ...

PRINTED AT

PRINTED AT

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

प्ररूप 26  
(नियम 4क देखिए)



पाली 15 मंसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन क्षेत्र से  
(निर्वाचन क्षेत्र का नाम)  
लोक सभा (सदन का नाम) के लिए निर्वाचन  
के लिए रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथपत्र

## भाग-क

मैं, कन्हैयालाल पारीक पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ज्ञानाराम आयु 48  
वर्ष, जो C-44 प्राथिक पूरा मंसुरिया जोधपुर (डाक का पूरा पता लिखें) का/की निवासी हूँ, और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रशिक्षण करता हूँ/करती हूँ, शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/करती हूँ:-

(1) मैं, स्वतंत्र अभ्यर्थी (\*\* राजनैतिक दल का नाम) द्वारा खड़ा किया गया अभ्यर्थी/एक स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूँ।

(\*\* जो लागू न हो उसे काट दें)

(2) मेरा नाम जोधपुर राजस्थान 16 मंसदीय निर्वाचन क्षेत्र (निर्वाचन क्षेत्र और राज्य का नाम) में भाग सं. 100  
के क्रम सं. 271 पर प्रविष्ट है।

(3) मेरा संपर्क टेलीफोन नं. 9414127436 है/हैं और मेरा ई-मेल आईडी (यदि कोई हो तो) Vrindawan  
prakashies@gmail.com है, और मेरा सोशल मीडिया एकाउंट (यदि कोई हो तो) नहीं है।

(4) स्थाई लेखा संख्यांक (पैन) के ब्यारे और आय-कर विवरणी फाइल करने की प्रास्थिति:

क्रम सं.	नाम	पैन	वित्तीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है।	आयकर विवरणी में उपदर्शित कुल आय (रुपए में)
1.	स्वयं कन्हैयालाल पारीक	APQP6282A	2012-13	414397
2.	पत्नी या पत्नी सुशीला पारीक	ASAPP9753D	2012-13	326210
3.	आश्रित 1 च्चीनज	BYIPP5998P	लागू नहीं	—
4.	आश्रित 2 लकण	CCCPP 0349B	लागू नहीं	—
5.	आश्रित 3	—	—	—

(5) मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरहित किया गया है/किए गए हैं।

यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी:-

Notary Seal  
26032014  
Notary, PAB

Signature  
Prakash

(i) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है जिसमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।

(क)	मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याओं सहित संबंधित पुलिस थाना/जिला/राज्य के पूर्ण ब्यौरे	लागू नहीं
(ख)	संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए आरोपित किया गया है	लागू नहीं
(ग)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	लागू नहीं
(घ)	न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई	लागू नहीं
(ङ)	तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किए गए थे	लागू नहीं
(च)	क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा श्रेणी की गई है/हैं	लागू नहीं

(ii) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है/हैं जिनमें न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है [ पूर्वोक्त मद (i) में वर्णित मामलों से भिन्न ] :-

(क)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	लागू नहीं
(ख)	उन मामलों के ब्यौरे जहां न्यायालय ने संज्ञान लिया है, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए संज्ञान लिया गया है	लागू नहीं
(ग)	पूर्वोक्त आदेश (आदेशों) के विरुद्ध पुनरीक्षण के लिए फाइल की गई अपील (अपीलों)/आवेदन (आवेदनों) (यदि कोई हों) के ब्यौरे	लागू नहीं

(6) मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न, के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/ नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास का दंडादेश दिया गया है/नहीं दिया गया है:

यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा: निम्नलिखित मामलों में मुझे सिद्धदोष ठहराया गया है और न्यायालय द्वारा कारावास का दंडादेश दिया गया है:

(क)	उन मामलों के ब्यौरे अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए सिद्धदोष ठहराया गया है	लागू नहीं
(ख)	न्यायालय (न्यायालयों) का नाम, मामला संख्या और आदेश (आदेशों) की तारीख (तारीखें)	लागू नहीं
(ग)	अधिरोपित दंड	लागू नहीं
(घ)	क्या सिद्धदोष ठहराने के आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाइल की गई थी/है। यदि हां, तो अपील के ब्यौरे और वर्तमान प्रारिथिति	लागू नहीं

Chief & Deputy Magistrate  
Nasir Ahmad

26/03/2019  
Nasir Ahmad

Deputy Magistrate  
Nasir Ahmad



(7) में मेरे, मेरे पति या पत्नी और सभी आश्रितों की आस्तियों (जंगम और स्थावर आदि) के ब्यौरे नीचे देता हूँ :

अ. जंगम आस्तियों के ब्यौरे :

- टिप्पण 1 - संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का सूचीकरण दिया जाना है।  
 टिप्पण 2 - जमा/विनिधान की दशा में क्रम सं., रकम, जमा की तारीख, स्कीम, बैंक/संस्था का नाम और शाखा सहित ब्यौरे दिए जाने हैं।  
 टिप्पण 3 - सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में बंधपत्रों/शेयर डिबेंचरों का मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में चालू बाजार मूल्य के अनुसार और गैर सूचीबद्ध कंपनियों की दशा में लेखाबहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए।  
 टिप्पण 4 - यहाँ आश्रित का वही अर्थ है जो उसका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 25 के अधीन स्पष्टीकरण (5) में है।  
 टिप्पण 5 - रकम सहित ब्यौरे प्रत्येक विनिधान के संबंध में पृथक्कृत दिए जाते हैं।

क्रम सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	हाथ में नकदी	100000	50000	शून्य	शून्य	लागू नहीं
(ii)	बैंक खातों में जमा के ब्यौरे (नियत जमा, आवधिक जमा और अन्य सभी प्रकार के जमा जिसमें बचत खाते भी हैं), वित्तीय संस्थाओं, गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों और सहकारी सोसाइटियों के पास जमा और ऐसे प्रत्येक जमा में रकम	5887 संयुक्त जमा पणाक जमा बैंक केन्द्रीय जमा पणाक सुर ग्राही के	6386 80833 51004 21100	शून्य शून्य शून्य शून्य	शून्य शून्य शून्य शून्य	शून्य शून्य शून्य शून्य
(iii)	कंपनियों/वारस्परिक निधियों और अन्य में बंधपत्रों, डिबेंचरों/शेयरों तथा यूनिटों में विनिधान के ब्यौरे और रकम	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(iv)	राष्ट्रीय बचत योजना, डाक बचत, बीमा पालिसियों में विनिधान के ब्यौरे और डाकघर या बीमा कंपनी में किन्हीं वित्तीय लिखतों में विनिधान और रकम	नहीं	वही	नहीं	नहीं	नहीं
(v)	किसी व्यक्ति या निकाय जिसमें फर्म, कंपनी, न्यास आदि को दिए गए वैयक्तिक ऋण/अग्रिम और ऋणियों से अन्य प्राप्त तथा रकम	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
(vi)	मोटरवाहन/वायुयान/याट/पोल (मेक, रजिस्ट्रीकरण संख्या आदि क्रय करने का वर्ष और रकम)	मोटरवाहन R/1900 का 2010 600000/2		नहीं	नहीं	नहीं
(vii)	जेवरात, बुनियादी और मूल्यवान वस्तु (वस्तु) (मूल्य और मूल्य के ब्यौरे)	70000/2	20000	नहीं	नहीं	नहीं
(viii)	किसी अन्य आश्रितों से कि दावों/हित का हित	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
(ix)	समग्र कुल मूल्य	910670	110670	नहीं	नहीं	नहीं

*Signature*

DIARY  
500 No  
RATA

आ. स्थावर आस्थियों के बारे

टिप्पण 1- संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्थियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2- प्रत्येक भूमि या भवन या अपार्टमेंट का इस प्रारूप में पृथक्पृथक् वर्णन किया जाना चाहिए।

क्रम सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	कृषि भूमि की अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएं)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	क्षेत्र (एकड़ में कुल माप)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	स्वाजित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	"अनुमानित चालू बाजार मूल्य"	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
(ii)	गैर कृषि भूमि : अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएं)	मकान C-44 आर.ए. पूरा मकान जो 4/8/2	मकान 44 मकान पूरा मकान जो 4/8/2	नहीं	नहीं	नहीं
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	15' x 30'	15' x 30'	नहीं	नहीं	नहीं
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	स्वाजित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	01-03-08	01-03-08	नहीं	नहीं	नहीं
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	1600000	1600000	नहीं	नहीं	नहीं
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	"अनुमानित चालू बाजार मूल्य"	2000000	2000000	नहीं	नहीं	नहीं
(iii)	वाणिज्यिक भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएं)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	स्वाजित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं

*Dr. L. J. Purohit*



	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से संपत्ति पर कोई विनिधान	नही	नही	नही	नही	नही
	"अनुमानित चालू बाजार मूल्य"	नही	नही	नही	नही	नही
(iv)	आवासीय भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएं)	नही	नही	नही	नही	नही
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	नही	नही	नही	नही	नही
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	नही	नही	नही	नही	नही
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	नही	नही	नही	नही	नही
	स्वअर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	नही	नही	नही	नही	नही
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	नही	नही	नही	नही	नही
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	नही	नही	नही	नही	नही
	"अनुमानित चालू बाजार मूल्य"	नही	नही	नही	नही	नही
(v)	अन्य (जैसे कि संपत्ति में हित)	नही	नही	नही	नही	नही
(vi)	पूर्वोक्त (i) से (v) का कुल चालू बाजार मूल्य	नही	नही	नही	नही	नही

(b) मैं, लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति दायित्वों/को शोध्यों के ब्यौरे नीचे देता हू:-  
 (टिप्पण: कृपया बैंक, संस्था, निकाय या व्यक्ति के नाम और उनमें प्रत्येक के समक्ष रकम के ब्यौरे का पृथक विवरण दें)।

क्रम सं.	विवरण	रकम	पति या पत्नी ✓	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	बैंक/वित्तीय संस्था (संस्थाओं) को ऋण या शोध्य SBB 23 ग्रहण बैंक या वित्तीय संस्था का नाम, बकाया रकम, ऋण की प्रकृति	8,15,182/-	8,15,182/-	नही	नही	नही
	पूर्वोक्त वर्णित से भिन्न किन्हीं अन्य व्यष्टिकों, निकाय को ऋण या शोध्य नाम, बकाया रकम, ऋण की प्रकृति	HDFC CAR LOAN 4,17,533/-	नही	नही	नही	नही
	कोई अन्य वित्तीय संस्था/व्यक्ति/संस्था/संस्था	54,0956	1,00,000	नही	नही	नही
	व्यक्ति का कुल योग	4,72,420	1,49,562	नही	नही	नही

Signed & Stamped by  
 Notary Public  
 20/11/2023  
 Notary, P.A.S.

*Sanjay Lal Puri*

(ii)	सरकारी शोध :					
	सरकारी आवास से बरतने वाले विभागों को शोध	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	जल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	विद्युत आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	टेलीफोन/मोबाइल आपूर्ति से बरतने वाले विभागों को शोध	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	सरकारी परिवहन (वायुयान और हेलिकॉप्टर सहित) से बरतने वाले विभाग को शोध	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	आय-कर शोध	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	घनकर शोध	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	सेवाकर शोध	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	नगरपालिका/संपत्ति कर शोध	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	विक्रयकर शोध	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	कोई अन्य शोध	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
(iii)	सभी सरकारी शोधों का कुल योग	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
(iv)	क्या कोई अन्य दायित्व विवादाधीन है, यदि हां तो अंतर्बलित रकम और उस प्राधिकारी जिसके समक्ष यह लंबित है का वर्णन करें।	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं

(9) वृत्ति या उपजीविका के ब्यौरे :

(क) स्वयं ..... व्यापार

(ख) पति या पत्नी ..... जोड़ जोड़

(10) मेरी शैक्षिक अर्हता नीचे दिए अनुसार है:-

B. Com.

राजस्थान विश्वविद्यालय

(प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्यौरे देते हुए विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरा दें)

भाग-ख

(11) भाग-क के (1) से (10) तक में दिए गए ब्यौरों का उद्धरण

1.	अभ्यर्थी का नाम	श्री/श्रीमती/कु कुर्किया लाल परोक
2.	डाक का पूरा पता	C-44 श्रीनिकपुरा मन्सरिया जोधपुर
3.	निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम तथा राज्य	15 पाली (105 मन्सरिया) राज.
4.	उस राजनैतिक दल का नाम, जिसने अभ्यर्थी को खड़ा किया है (अन्वथा 'स्वतंत्र' लिखें)	स्वतंत्र

*Signature*

Notary & Sealed before

Notary Public

26/03/2014

Notary, P.A.



5.	(i) ऐसे लंबित मामलों की कुल संख्या जिनमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए द्वारा आरोप विरचित किए गए हैं।	नहीं				
	(ii) ऐसे मामलों की कुल संख्या जिनमें न्यायालय (न्यायालयों) ने संज्ञान लिया है [ ऊपर मंद (i) उल्लिखित मामलों से भिन्न ]	नहीं				
6.	ऐसे कुल मामलों की संख्या जिनमें सिद्धदोष ठहराया गया एक वर्ष या उससे अधिक के लिए कारावास से और दंडित किया गया है। [ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 की उपधारा (1), उपधारा (2) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट अपराधों के सिवाए ]	नहीं				
7.	... का स्थायी लेखा सं.	वह वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है	कुल दर्शित आय			
	(क) अभ्यर्थी	APDPP6202A	2012-13	414397/2		
	(ख) पति या पत्नी	ASAPP9453D	2012-13	326210/2		
	(ग) आश्रित	BY1PP0349B	नहीं	नहीं		
8.	आस्तियों और दायित्वों के ब्यौरे (रूप में)	— निम्न प्रकार —				
	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
क.	जंगम आस्तियां (कुल मूल्य)	910670	110670	नहीं	नहीं	नहीं
ख.	स्थावर आस्तियां	2000000	2000000	नहीं	नहीं	नहीं
I.	स्वार्जित स्थावर संपत्ति की क्रय कीमत					
II.	क्रय के पश्चात् स्थावर संपत्ति की विकास संनिर्माण लागत (यदि लागू हो)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
III.	निम्नलिखित की अनुमानित वर्तमान बाजार कीमत	वर्तमान अनुमानित	बाजार	बाजार	बाजार	बाजार
	(क) स्वार्जित आस्तियां (कुल मूल्य)	2000000	2000000	नहीं	नहीं	नहीं
	(ख) विरासती आस्तियां (कुल मूल्य)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
9.	दायित्व					
(i)	सरकारी शोध्य (कुल)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
(ii)	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	1232715	949562	नहीं	नहीं	नहीं
10.	ऐसे दायित्व जो विवादाधीन हैं					
(i)	सरकारी शोध्य (कुल)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
(ii)	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं

की. काम. राजस्थान विश्व विद्यालय  
(राजकीय महाविद्यालय जयपुर राज.)

*Signature*  
parvati

2012-03-22

## सत्यापन

मैं, ऊपर उल्लिखित, अभिसाक्षी इसके द्वारा यह सत्यापन और घोषणा करता हूँ कि इस शपथपत्र की विषय-वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है, और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है तथा इसमें से कोई भी तात्त्विक तथ्य नहीं छिपाया गया है। मैं यह और घोषणा करता हूँ कि:-

- (क) मेरे विरुद्ध ऊपर भाग क और ख की मद 5 और 6 में उल्लिखित दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामले से भिन्न कोई दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामला नहीं है;
- (ख) मेरे पति या पत्नी या मेरे आश्रितों के पास ऊपर भाग क की मद 7 और 8 तथा भाग ख की मद 8, 9 और 10 में उल्लिखित आस्ति या दायित्व से भिन्न कोई आस्ति या दायित्व नहीं है।

आज तारीख 26.03.2014 को सत्यापित किया गया।



*Vikram Chatterjee*  
अभिसाक्षी

- टिप्पण : 2. शपथपत्र पर किसी शपथ कमिश्नर या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ ली जानी चाहिए।
- टिप्पण : 3. सभी स्तंभों को भरा जाना चाहिए और कोई स्तंभ खाली न छोड़े, यदि किसी मद के संबंध में देने के लिए कोई जानकारी नहीं है तो, यथास्थिति "शून्य" या "लागू नहीं होता" उल्लिखित किया जाना चाहिए।
- टिप्पण : 4. शपथपत्र टंकित या सुपाठ्यरूप से साफ-साफ लिखित होना चाहिए।

[ फा. सं. एच.-11019 (6)/2012-वि. II ]

डॉ. संजय सिंह, अपर सचिव

टिप्पण : मूल नियम अधिसूचना संख्यांक का. आ. 859, तारीख 15 अप्रैल, 1961 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनमें अंतिम बार निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधन किया गया-

- (1) संख्यांक का. आ. 728 (अ), तारीख 8 मई, 2007 ।
- (2) संख्यांक का. आ. 425 (अ), तारीख 23 फरवरी, 2011 ।

Signed & Sworn Before me  
Witness Attested  
*Vikram Chatterjee*  
26.03.2014  
Notary, PAN